

भारतीय संविधान की शकालक रूत संवात्मक विशेषताएं

- भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद लक्षण उसका संवात्मक स्वरूप है। ऐसा संविधान के प्रथम अनुच्छेद से ही विहित हो जाता है, जिसमें भारत को राज्यों का संघ (Union of States) कहा गया है। कुछ न्यायविदों व राजनीति सिद्धान्तशास्त्री व विद्वानों का इसे संवात्मक (Federal) कुछ इसे शकालक (Unitary) तथा कुछ विचारक मध्यमवर्गी का अनुकरण करते हुए अर्द्ध - संवात्मक (Quasi-federal) कहते हैं।

संघवाद का अर्थ (Meaning of Federalism)

केंद्रीय व राज्यात्मक सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण या उनके शकालन के संदर्भ में विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है - शकालक और संवात्मक। शकालक व्यवस्था में एक प्रत्यक्ष सम्पूर्ण शक्ति के हाथों में राज्य की सत्ता केंद्रीकृत होती है।

संवात्मक व्यवस्था में संविधान द्वारा स्थापित तथा नियन्त्रित विभिन्न शकालों के बीच शक्तियों का वितरण होता है।

कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य (Some important statements)

- मैं नहीं जानता कि कनाडा के संविधान में भूनिचन शब्द का प्रयोग किया गया। भारत एक संघ है जिसकी शकाल उस देश नहीं सकती। संघ अनाश्रयान है। डॉ. बी. डार. अम्बेडकर

संविधान के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि शकालक है। आप केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का कोई वगीकरण करें।